राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 190 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–06.09.2022

GCMS ID–2022 / 103

1. रियाजुद्दीन आ0 ग्यासुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सोडा वाटर की दुकान के पास, पुरानी मण्डी कोटा जिला कोटा शहर राज0
2. अयाजुद्दीन आ0 ग्यासुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सोडा वाटर की दुकान के पास, पुरानी मण्डी कोटा जिला कोटा शहर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. नजमुद्दीन पिता जाफर जाति मुसलमान निवासी पुरानी सब्जी मण्डी केट की चौकी लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. सजाउद्दीन पिता जाफर जाति मुसलमान निवासी पुरानी सब्जी मण्डी केट की चौकी लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

दिनांक :– 16 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 113 पुराना 112 की कृषि भूमि खसरा संख्या 170 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 187 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भैरूपुरा आंतरी पटवार हल्का आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादाजी स्व0 श्री मोहम्मद गफूर आ0 रहीम बक्श के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

दर्ज थी। प्रार्थीगण के दादा जी स्व0 गफूर जी की मृत्यु के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा फोती इन्तकाल खोले जाने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के पिताजी व परिवार के अन्य सदस्यों से प्रार्थीगण के दादाजी के सही एवं वास्तविक नाम ही सही जानकारी न कर आस–पास के पडोसियों से जानकारी कर पटवारी हल्का द्वारा फोती इन्तकाल खोल दिया गया। जिससे प्रार्थीगण के दादाजी के वास्तविक नाम अब्दुल गफूर के वास्तवकि नाम के स्थान पर जाफर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के दादाजी का वास्तविक नाम अब्दुल गफूर है। एवं इसी अनुरूप प्रार्थीगण के दादाजी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिताजी ग्यासुद्दीन आ0 अब्दुल गफूर उर्फ जाफर की भी दिनांक 19.05.2016 को मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त जब प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से फोती इन्तकाल अपने नाम खोले जाने का निवेदन किया व अपने पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र पटवारी हल्का के सामने प्रस्तुत किया तो पटवारी हल्का ने उक्त मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर फोती इन्तकाल खोले जाने से इन्कार कर दिया। चूंकि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता के नाम के आगे प्रार्थीगण के दादाजी के वास्तविक नाम अब्दुल गफूर की जगह गलत नाम जाफर का अंकन हो रहा था। इस कारण पटवारी हल्का ने उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को न मानते हुए फोती इन्तकाल खोलने से मना कर दिया। प्रार्थना प. की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के दादाजी के वास्तविक एवं सही नाम अब्दुल गफूर का अंकन किया जाना न्यायोचित व अति आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण जब दिनांक 25.08.2022 को अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर फोती इन्तकाल खुलवाने पटवारी हल्का के पास गये तब प्रार्थीगण को अपने दादा के गलत नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने की जानकारी हुई। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य बवक्त बहस श्रीमान की आज्ञा से मौखिक निवेदन कर दिये जावेगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भैरूपुरा आंतरी में विरिथत खाता संख्या नया 212 व पुराना 113 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के दादाजी के गलत नाम जाफर की जगह प्रार्थीगण के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दादाजी के वास्तविक एवं सही नाम अब्दुल गफूर का अंकन किये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के दादाजी का नाम जाफर के इन्द्राज को दुरूस्त कर अब्दुल गफुर दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :— राजस्व/24/03 दिनांक :—02.01.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम भैरूपुरा की आंतरी की भूमि खाता संख्या 113 में दर्ज अपने दादाजी का नाम जाफर के स्थान पर अब्दुल गफुर शुद्ध करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों व. सहखातेदारों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज प्रार्थीगण के पिता सहखातेदार ग्यासुद्दीन, नजमुद्दीन व सजाउद्दीन के पिता का जाफर गलत होकर सही नाम अब्दुल गफुर है,जिसको जाफर के स्थान पर अब्दुल गफुर होना बताया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के दादाजी का सही नाम अब्दुल गफुर है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला टोंक

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण के दादाजी का नाम अब्दुल गफुर अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम भैरूपुरा की आंतरी पटवार मण्डल आकोदा के खाता संख्या 113 में दर्ज सहखातेदार ग्यासुद्दीन, नजमुद्दीन व सजाउद्दीन के पिता का नाम जाफर के स्थान पर अब्दुल गफुर शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446